

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – डॉ दिनेश राय सापेला, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 09/2023
रजिस्ट्रेशन नं. :2023/9

राजस्थान राज्य जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी
बांसवाड़ा (राज)

बनाम

अभियुक्त :-

श्री रेवत सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री
छोगसिंह राजपुरोहित निवासी उदयनगर,
बावडीकला, फलौदी, जोधपुर – 342301
(विक्रेता/ मालिक) मैसर्स श्री जाधपुर
मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड, कुशलगढ,
जिला बांसवाड़ा

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 18.04.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री शशिकांत शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) के द्वारा दिनांक 17-01-2023 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 20-10-2022 को 1.30 पी.एम. वजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स श्री जोधपुर मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड, कुशलगढ, जिला बांसवाड़ा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री रेवत सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री छोगसिंह राजपुरोहित उपस्थित थे। विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में श्री जोधपुर मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड, कुशलगढ का निरीक्षण करने पर गुलाब जामुन 5 किलोग्राम एक स्टील की ट्रे में रखा पाया। उक्त गुलाब जामुन को विक्रेता ने मावा, मैदा, चीनी, जायत्री, जायफल एवं घी व इलायची, खाद्य रंग से निर्मित होना बताया। इसमें गुणवत्ता की कमी/ गिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए गुलाब जामुन 2 किलोग्राम वास्ते नमुना जाँच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 720/- रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमुना जाँच हेतु खरीदशुदा गुलाब जामुन 2 किलोग्राम को एक साफ सुखे एवं खाली बर्तन में डालकर एकरूप कर 4 साफ सुखे एवं खाली प्लास्टिक के जारों में बराबर बराबर मात्रा में भरकर प्रत्येक जार में प्रिजर्वेटिव फॉर्मेशन की 40-40 बुन्दे डालकर एयरटाईड ढक्कन बंद कर चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग पर



न्याय निर्णयन अधिकारी
(अतिरिक्त जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-1234** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लीप व रेपर दोनो पर आवे एवं सील बंद नमूनों पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/382 दिनांक 17-11-2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 890 दिनांक 03-11-2022 अनुसार विक्रेता से वारते नमूना जांच हेतु क्रय किया गुलाब जामुन का नमूना कोड क्रमांक **W-1234** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा गुलाब जामुन का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 20-01-2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये

मामन तलब किया गया।

दिनांक 18-04-2023 को अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/382 दिनांक 17-11-2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 890 दिनांक 03-11-2022 अनुसार विक्रेता से वारते नमूना जांच हेतु क्रय किया गुलाब जामुन का नमूना कोड

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला क्लर्क)
बांसवाडा (राज.)

क्रमांक W-1234 Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standards act 2006 पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नहीं होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टैंडर्ड गुलाब जामुन को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 व नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः पुनश्च: किया जाकर आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी श्री रेवत सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री छोगसिंह राजपुरोहित निवासी उदयनगर, बावडीकला, फलौदी, जोधपुर - 342301 (विक्रेता/ मालिक) मैसर्स श्री जाधपुर मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड, कुशलगढ, जिला बांसवाडा को रूपये 50000/- (अक्षरे रू पचास हजार मात्र) से दण्डित कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 18.04.2023 खुले न्यायालय सुनाया गया।



(डॉ. दिनेश राय सापेला)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति) जिला (रुसवेटर)
बांसवाड़ा